गवाही एडवोकेट के अधिवक्ता अधिवक्ता को आदिवासी तक कोई अपील के लिए उपस्थित नहीं रहा। इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाने हेतु पत्रावली बाबत प्रावधान 8/5/25 को पेश हो।

8/5 पत्रावली पेश हुई। अपील अभाव अपील प्रतिवादी प्रावधान पेश करने हेतु अवसर चाहा। अवसर देना प्रतीत होता है। अपीलार्थी एडवोकेट के अपील प्रतिवादी 9 ता 13 तथा 15 ता 17 की ओर से जवाबदावा का आदेश 9 पेश न होने का आवेदन पेश हुआ। पत्रावली बाबत प्रावधान आदेश व प्रावधान दि. 27/5/2025 को पेश हो।

27/5 पत्रावली पेश हुई। अपील प्रतिवादीगण अथवा अपील वादी उपस्थित नहीं। पत्रावली बाबत अंतिम आदेश दि. 17/6/25 को पेश हो।

17/6 पत्रावली पेश हुई। अपील प्रतिवादीगण अथवा पत्रावली अन्तिम आदेश दि. 20/6/25 को पेश हो।

20/6/25 पत्रावली पेश हुई। अपील वादी व वादी स्वयं व अधिवक्ता कार्यवाही तक बार-बार आवाज लगाने के बावजूद उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली के अन्तिम स्थिति व अपील पैरवी के अभाव में उपलब्ध पत्रावली के आधार पर अपील खारिज पत्रावली।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर